विलोपित

(38)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण कमांक......./2018 निगरानी-4688/2018/पन्ना/20.18 वर्ष 2018

1. शंकर लाल पिता श्री गिरजा प्रसाद कुदरहा, उम्र-73 वर्ष, निवासी-ग्राम-टिकरिया, तह0 पवई, जिला-पन्ना म0प्र0।

2. सतीश कुमार पिता श्री शंकर लाल कुदरहा उम्र- वर्ष, निवासी-ग्राम-टिकरिया, तह0 पवई, जिला-पन्ना म0प्र0।

3. शखीबाई पिता श्री शंकरलाल कुदरहा उम्र-70 वर्ष, निवासी ग्राम-टिकरिया, तह0 पवई, जिला-पन्ना म0प्र0 --------------निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर महोदय पन्ना जिला-पन्ना म0प्र0 ---------उत्तरवादी

श्री विनोद भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 10.7.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-8-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 10-7-18

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
10-07-2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 सं0 1959।

निगरानी विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर महोदय पन्ना जिला-पन्ना म0प्र0 के न्यायालय के प्रकरण कमांक-35/अ-21/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध।

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि:-

यह कि मान्नीय न्यायालय कलेक्टर महोदय पन्ना, जिला-पन्ना म0प्र0 के द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 16.08.2017 को विवादित जमीन के संबंध मे इस आशय का नोटिस दिया गया था कि निगरानीकर्तागण ने विवादित जमीन को कलेक्टर महोदय की अनुमति के वगैर शासकीय पट्टे में प्राप्त जमीन को कय किया गया है, क्यो ना पट्टे निरस्त कर दिये जाये। निगरानीकर्ता ने संयुक्त रूप दिनांक 06.09.2017 को नोटिस का जबाब दिया था, और नोटिस के साथ लिस्ट मुताविक दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। तथा उपरोक्त नोटिस की कार्यवाही विधिविरूद्व एवं परसीमां अधिनियम के विरूद्व है और निगरानीकर्ता ने किसी भी प्रावधानो का उल्लंघन नही किया है, दिया गया नोटिस निरस्त किया जायें। मान्नीय न्यायालय कलेक्टर महोदय पन्ना, जिला-पन्ना के द्वारा प्रकरण को सुनवाई के बाद दिनांक 08.06.2018 को आदेश पारित करते हुये विवादित जमीन के संबंध मे निगरानीकर्ता को विना कलेक्टर महोदय की अनुमति के जमीन को कय करने को प्रमाणित मानते हुये समस्त जमीन शासन के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया। आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त कर उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील मान्नीय न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

10/7/18

सतीशकुदरहा शंकरलाल

नि.अ. शखीबाई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.-4688/2018/पन्ना/भू.रा. **जिला** पन्ना शंकरलाल **विरूद्ध** म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 13-08-2018 को आवेदक शंकरलाल के अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा को ग्राह्यता सुना गया । 3. उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 35/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08-06-2018 का अवलोकन किया गया । 4. कलेक्टर पन्ना द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि ग्राम टिकरिया तहसील पवई जिला पन्ना स्थित भूमि आराजी नं. 157 रकबा 1.00 है. फूल खां तनय श्री मान खां, आराजी न. 165,166 रकबा क्रमशः 1.47, 0.42 है. जुम्मीबाई पिता हसमत आराजी नं. 168,169 रकबा क्रमशः 0.37, 1.41 है. नत्थु लाल तनय श्री बरवा वसोर को शासकीय पट्टेदार के रूप में प्रदाय की गई थी उक्ताशय की पुष्टि निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत जबाब में भी किया है । निगरानीकर्तागणों के द्वारा शासन से प्राप्त भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के पट्टेदारों से क्रय किया जाकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7ख) का उल्लंघन किया गया है । 5. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ने WP-539/2017 श्री जया राठी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30-01-2018 में निम्नानुसार Observation दिया है । " The land was granted to the landless persons on lease by the State Government. The transfer of land leased to a landless person could be affected only after getting approval from the Collector. Since admittedly the approval from the	

Collector was not sought, such transaction has been rightly found to be void as such transaction is in contravention of statutory provisons."

6. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

31.8.18
सदस्य